ग्राम पंचायत बागकुलजां, विकास खण्ड लम्बागांब जिला काँगड़ा, हि॰ प्र॰ –176095 के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

भाग—एक

1. प्रस्तावना

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत बागकुलजां, विकास खण्ड लम्बागांब, जिला काँगड़ा हि0 प्र0 के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का अंकेक्षण हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा प्रथम बार किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान, सचिव, तकनीकी सहायक व ग्राम रोजगार सेवक कार्यरत रहे :–

प्रधानः–

क्र॰सं॰	नाम	अवधि
1	श्रीमती रक्षा देवी	01.04.2022 से 31.03.2024

सचिव :–

क्र॰सं॰	नाम	अवधि
1	श्री मनमोहन	01.04.2022 से 31.03.2024

तकनीकी सहायक :–

क्र॰स॰	नाम	अवधि
1	श्री विशाल कटोच	01.04.2022 से 31.03.2024

ग्राम रोजगार सहायक :–

क्र॰सं॰	नाम	अवधि
1	श्रीमती सुमन वाला	01.04.2022 से 31.03.2024

(ख) **गम्भीर अनियमितताओं का सारः—**

ग्राम पंचायत बागकुलजां के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः—

क्र0 सं0	पैरा सं•	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (₹लाखों में)
1	4(ग)	रोकड़ बही व बैंक के अन्त शेषों में अन्तर पाया जाना	6.41
2	6.1	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	16.13
3	7.1	सम्पत्तिकर/गृहकर का वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.68
4	7.2	पानी समिति परियोजना के अंतर्गत पंचायत राजस्व का वसूली हेतु शेष पाया जाना	1.16
5	7.4	विवाह पंजीकरण के रूप में प्राप्त की गई सरकारी कोष में जमा न करवाने बारे	0.04
6	8.1	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही स्टॉक का क्रय करना	3.02
7	8.2	क्रय किये गये सामान की स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्राप्ति व खपत दर्ज न करना	3.28
8	8.3	खनन सामग्री बिलों के साथ वैध ट्रांजिट पास फॉर्म "X" या "W" की प्राप्ति सुनिश्चित न करने के कारण अनियमित भुगतान करने बारे	0.69
9	9.1	निर्माण सामग्री पेवर ब्लॉक्स के क्रय हेतु अनियमित भुगतान करने बारे	0.89
10	10	निर्माण कार्यो के अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत न करना	2.55
11	11	रोकड़ बहियों में अनुचित/असमर्थित/समायोजित प्रविष्टियां करने बारे	1.99

भाग—दो

2. वर्तमान अंकेक्षणः—

ग्राम पंचायत बागकुलजां के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री प्रवीन कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 26.11.2024 से

30.11.2024 तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में प्रस्तुत की गई ऑनलाईन रोकड़ बहियों के आधार पर किया गया। आय व्यय की विस्तृत जाँच हेतु मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्वः स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गयाः–

वर्ष	आय	व्यय
2022–23	04/2022	01/2023
2023–24	06/2023	03/2024

अस्वीकरण (Disclaimer) :–वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3. अंकेक्षण शुल्कः–

ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹4000/– आंका गया है। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट/मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–171009 को शीघ्रातिशीघ्र प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा/अ.वृ.का./2024/592 दिनांक–30.11.2024 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया।

4.1 (क).वित्तीय स्थितिः–

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः– राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ.वृ.का. /2024/580 दिनांकः–26.11.2024 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के लेखों की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट–1** में दिया गया है:–

1.स्वः–स्त्रोतः–

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कॉलम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कॉलम 4–5)
1	2	3	4	5	6
2022-23	990149.88	1327073.00	2317222.88	776561.00	1540661.88

2023-24	1540661.88	719556.00	2260217.88	711752.00	1548465.88

2.अनुदानः—

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कॉलम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कॉलम 4—5)
1	2	3	4	5	6
2022-23	2236674.14	2068958.56	4305632.70	2575317.56	1730315.14
2023-24	1730315.14	1324743.13	3055058.27	1442052.00	1613006.27

कुल योग (1+2)1548465.88+1613006.27=**3161472.15**

(ख) बैंक समाधान विवरणीः—

दिनांक 31.03.2024 को ग्राम पंचायत की ऑनलाईन रोकड़ बहियों/वित्तीय स्थिति अनुसार से अन्तशेष ₹31,61,472.15 तथा बैंक खातों/हस्तगत राशि "**परिशिष्ट—3**" के अनुसार अन्तशेष ₹38,02,476.88 से सम्बन्धित बैंक समाधान विवरणी निम्नानुसार हैः—

	बैंक खातों की विवरणीः—			
क्र0 सं0	**विवरण**	**बैंक**	**खाता**	**अन्त शेष (₹)**
1	स्वःस्त्रोत/5वॉं वित/वी.के.वी.एन.वाई/पी.एस/टी.एस.सी	का•के•सह•बैंक जयसिंहपुर	20086032909	2181882
2	तीसरा वित	का•के•सह•बैंक जयसिंहपुर	50055999673	1359
3	आर.ए.वाई	का•के•सह•बैंक जयसिंहपुर	20086010077	1466
4	डबल्यू.डी.एफ	का•के•सह•बैंक लम्बागांव	20019032104	0
5	14वॉं वित्त	यूको•बैंक लम्बागांव	10680110035962	3439.13
6	15वॉं वित्त/पी.एस/जेड.पी	यूको•बैंक लम्बागांव	10680110038697	1614330.75
	हस्तगत शेष (ऑनलाईन रोकड़ बही के अनुसार)			0
बैंक खातों व हस्तगत शेष का दिनांक 31.03.2024 का कुल योगः—				₹38,02,476.88
दिनांक 31.03.2024 को बैंक समाधान विवरणी :—				

रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति (पैरा 4) के अनुसार अन्तशेषः–	₹31,61,472.15
पंचायत के बैंक खातों का दिनांक 31.03.2024 का अन्तशेषः–	₹38,02,476.88
अन्तरः–	6,41,004.73

नोटः– अंतर का कारण पंचायत द्वारा बैंक समाधान विवरणी तैयार न करना।

4(ग) रोकड़ बही एवं बैंक खातों के शेषों का नियमानुसार मिलान न करने के कारण अंकेक्षण में राशि ₹6.41 लाख का बहुत ज्यादा अन्तर पाया जानाः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि, ग्राम पंचायत बागकुलजां द्वारा हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित्त बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 7(3) व 10(1) की अनुपालना में बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की गई थी, जिस कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अन्त में दिनांक 31.03.2024 को ऑनलाईन रोकड़ बहियों तथा बैंक खातों के अन्तशेष में राशि ₹641004.73/- का अन्तर बैंक में अधिक शेष के रूप में था, जिसका विस्तृत ब्यौरा पैरा–4 में दिया गया है।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/582 दिनांकः–27.11.2024 द्वारा सूचित किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–08 दिनांकः–30.11.2024 द्वारा सूचित किया गया कि बैंक समाधान तैयार करके अन्तर का मिलान कर दिया जायेगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। प्रस्तुत उतर नियमानुसार न होने एवं तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः अन्तर के कारणों बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी तैयार करना सुनिश्चित किया जाये तथा कृत सुधारात्मक अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए।

(घ) स्कीम वाईज खाते न खोलने बारेः–

निदेशक, पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या पी.सी.एच–एच.ए (5) सी (15) –(13) (एल) 5–47005–81 दिनांक–15.02.2012 के निर्देशानुसार स्कीम वाईज खाते खोले जाने का प्रावधान है।

ग्राम पंचायत बागकुलजां के बैंक खातों के अंकेक्षण में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा बैंक खाते स्कीम वाईज नहीं खोले गये थे। अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार स्वःस्त्रोत, 5वां वित, वी.के.वी.एन.वाई, पी.एस व टी.एस.सी आदि शीर्षो के अन्तर्गत नियमों एवं निर्देशों के विरूद्ध संयुक्त खाता संख्या 20086032909 खोला गया था, जो पंचायत की सच्ची व सही वित्तीय

स्थिति नहीं दर्शाता है एवं नियमों निर्देशों के विपरीत होने के कारण आपत्तिजनक है। इस अनियमितता के कारण किसी व्यय के दो बार भुगतान होने तथा धन के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/591 दिनांकः–30.11.2024 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या–08 दिनांकः–30.11.2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि स्कीम वाईज खातो का अनुसंधारण कर दिया जायेगा।

अतः नियमानुसार स्कीम वाईज खातों का संचालन न करने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अंकेक्षण को दिये गये आश्वासनानुसार व समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशो अनुसार ही बैंक खातों का रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(ड.) लेखा खाता/खाताबही तैयार न करना :–

हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 29(1 से 3) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप–7 में लेखा खाता/खाता बही तैयार करने का प्रावधान है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 2022–23 व 2023–24 की खाताबही/लेखा खाते तैयार नहीं किए गए थे। उक्त अवधि की खाताबही/लेखा खाते तैयार न करने के कारण वर्तमान अंकेक्षण के दौरान चयनित मास के व्यय वाउचरों से इस तथ्य की पुष्टि सम्भव न हो सकी कि निम्न तालिका में दर्शाए गए कार्यो हेतु कितनी–कितनी राशि प्राप्त हुई व कितना व्यय हुआ है तथा निम्न कार्यो को पूरा किया जा चुका है अथवा नहीं:–

क्र0सं0	अनुदान	वाउचर सं/दिनांक	बिल सं0/दिनांक, मस्ट्रोल सं0	कार्य का नाम	राशि (₹)
1	वी.के.वी. एन.वाई	पी/4–7/ 19.01.2023	मस्ट्रोल सं0–शून्य/ 5795,028,2012,054/ 04.01.23,16.06.22	समापन कार्य महिला मण्डल भवन गुजरेडा वार्ड–1	72570
2	14वां वित	पी/25,26,278/19.01.23	0008,520/24.12.22,22.12.22 मस्ट्रोल –5799	निर्माण जीप योग्य टाईल सड़क भटुआ बस्ती से होते हुए बावडी की ओर वार्ड–7	118075
3	15वां वित	पी/19,23	0010,519/22.12.	निर्माण पक्की जीपेबल	70643

		/18.01.23	22,25.12.22	टाईल सडक पी.डबल्यू सड़क से बलबीर के घर की ओर वार्ड–7	
4	15वां वित	पी/25/18 .01.23	521/22.12.22	निर्माण जीपेबल रोड शैड शाली ग्राम के घर से नाला की की ओर अलोहिया बस्ती वार्ड–2	21900
5	15वां वित	पी/40,41 /12.03.24	0016,0018/05.03.24	अपवर्धन कुआं व शैड पंचायत घर बागकुलजा वार्ड–2	95313

इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा स्वः स्त्रोत व अनुदानों से प्राप्त की गई आय की भी लेखा खाता/खाता बही के अभाव में वास्तविक प्राप्तियों की सत्यता की पुष्टि अंकेक्षण में नहीं की जा सकी, जोकि अनियमित तथा आपतिजनक है।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः– राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/591 दिनांकः–30.11.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या 08 दिनांकः–30.11.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त अवधि की खाता बहियों/लेखा खातों को तैयार करने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत उतर नियमानुसार न होने एवं तथ्यरहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः उक्त अवधि की खाताबही/लेखा खाते तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा वर्तमान अंकेक्षण अवधि की खाता बही/लेखा खाते तैयार करते हुए भविष्य में भी खाताबही/लेखा खाते तैयार किये जाने सुनिश्चित किये जाये व कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

5 निवेश न करने बारेः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियो में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है कि इन पर अधिकतम ब्याज अर्जित किया जा सके।

ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना में अंकेक्षण अवधि के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया था, जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के मुख्य निधि

खाते में अंकेक्षणावधि के दौरान ₹16,24,079 से ₹21,81,882 तक की राशि शेष थी। इस चूक के कारण संसाधनो की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा है। इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/591 दिनांकः 30.11.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पँचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या-08 दिनांक 30.11.2024 द्वारा भविष्य में अनुपालना का आश्वासन दिया है।

अतः इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा निवेश की स्थिति में हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 12 (1) के अंतर्गत उल्लेखित प्रारूप–1 के अनुसार निवेश रजिस्टर का संधारण किया जाना भी सुनिश्चित किया जाये।

6.1 अनुदान की राशि ₹16.13 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जानाः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार प्राप्त अनुदान राशियों को फंडिग एजेन्सी की अपेक्षाओं एवं मार्गदर्शन अनुसार निर्धारित उद्देश्य हेतु व्यय किया जाना अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्याः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0 /2024/580 दिनांकः–26.11.2024 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत सूचना जो कि **परिशिष्ट–1** व **परिशिष्ट–2** पर संलग्न है, के अनुसार दिनांक 31–03–2024 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से ₹16,13,006.27/– की राशि उपयोग हेतु शेष थीः–

क्र0सं0	**अनुदान का नाम**	**दिनांक**	**राशि (₹)**
1	तीसरा वित्त	31.03.2024	1437
2	डब्लयू.डी.पी	31.03.2024	-34
3	आर.ए.वाई	31.03.2024	1466
4	14वॉं वित्त	31.03.2024	-4193.48
5	15वॉं वित्त/पी.एस/जेड.पी	31.03.2024	1614330.75
		कुल जोड	**1613006.27**

उपरोक्त तथ्य स्पष्ट करते हैं कि उक्त शीर्षो के अन्तर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यो का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह पंचायत पीछे है।

इस शेष राशि के उपयोग/व्यय न करने बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/583 दिनांक–27.11.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र 08 दिनांकः–30.11.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि अनुपयोग अनुदान राशि को आगामी समय में व्यय करने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा।

अतः शेष अनुदान राशि को अंकेक्षण अवधि के दौरान व्यय न करने एवं उक्त माइनस शेषों के उचित कारणों को स्पष्ट करते हुए उक्त राशि को नियमानुसार निर्धारित उद्देश्यों हेतु व्यय करना सुनिश्चित किया जाए तथा तदानुसार कृत अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र अवगत करवाया जाये।

पंचायत राजस्व से प्राप्त आयः–

7.1 सम्पति कर/गृहकर की ₹0.68 लाख की राशि का वसूली हेतु शेष पाया जानाः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त,बजट,लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 34 (2) के अनुसार पंचायत को देय कोई भी राशि बिना पर्याप्त कारणों के परादेय/अदत(Outstanding)नहीं रखी जाएगी।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2024/580 दिनांकः–26.11.2024 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत **परिशिष्ट "4"** पर संलग्न सूचना के अनुसार सम्पत्तिकर/गृहकर के रूप में **₹68285**/– की राशि दिनांक 31.03.2024 को वसूली हेतु शेष थी। सम्पत्तिकर/गृहकर की इतनी अधिक राशि का पंचायत द्वारा बिना पर्याप्त कारणों के वसूली हेतु शेष पाया जाना यह स्पष्ट करता है कि पंचायत अपने राजस्व की नियमित उगाही के प्रति गंभीर नहीं है। परिणामस्वरूप सम्पत्ति कर/गृहकर की वसूली न करने से उस पर अर्जित ब्याज से होने वाले लाभ से भी पंचायत को वंचित होना पड़ा।

इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत के सम्पत्ति कर/गृहकर का मांग व एकत्रीकरण रजिस्टर को भी तैयार नहीं किया गया ,जिसके अभाव में **परिशिष्ट "4"** में दर्शाए गए दिनांक 01.04.2022 को अथशेष तथा उक्त अंकेक्षण अवधि के दौरान सृजित की गई कुल मांग की सत्यता की पुष्टि अंकेक्षण में नहीं की जा सकी।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2024/584 दिनांकः–27.11.2024 द्वारा सूचित किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–08 दिनांकः–30.11.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि सम्पति कर/गृहकर की बकाया राशि की वसूली करने उपरान्त सभा निधि में

जमा करवा दिया जाएगा तथा सम्पति कर मांग व संग्रहण रजिस्टर को तैयार करने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युतर नियमानुसार व तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः पंचायत राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों की नियमानुसार तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की अविलम्ब वसूली करना सुनिश्चित करें तथा भविष्य में भी इसकी वसूली प्राथमिकता के आधार पर प्रतिवर्ष नियमित रूप से की जानी सुनिश्चित की जाए तथा सम्पति कर/गृहकर मांग व संग्रह रजिस्टर को भी तैयार करके कृत अपेक्षित सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

7.2 ग्राम पंचायत द्वारा संचालित ग्रामीण पानी सप्लाई स्कीम/पानी समिति परियोजना के अंतर्गत पंचायत राजस्व ₹1.16 लाख की राशि का वसूली हेतु शेष पाया जाना :–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 34 (2) के अनुसार पंचायत को देय कोई भी राशि बिना पर्याप्त कारणो के परादेय/अदत (Outstanding) नहीं रखी जाएगी।

ग्राम पंचायत द्वारा संचालित ग्रामीण पानी सप्लाई स्कीम/पानी समिति परियोजना के अंतर्गत पंचायत क्षेत्र के समस्त परिवारो से समय–समय पर ग्राम पंचयात द्वारा निर्धारित जल शुल्क प्रति परिवार/नल की दर से वसूली की जानी अपेक्षित थी।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2024/580 दिनांकः–26.11.2024 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत **परिशिष्ट "4.1"** पर संलग्न सूचना के अनुसार जल शुल्क के रूप में **₹116310/–** की राशि दिनांक 31.03.2024 को वसूली हेतु शेष थी। क्योंकि अवधि 2023–24 के दौरान ग्राम पंचायत द्वारा कोई वसूली नही की गई। परिणामस्वरूप उक्त राशि की वसूली न करने से उस पर अर्जित ब्याज से होने वाले लाभ से भी पंचायत को वंचित होना पड़ा।

इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा मांग तथा वसूली रजिस्टर का न तो वार्षिक आधार पर और न ही माहवार अनुरक्षण किया गया था, जिसके अभाव में प्रस्तुत **परिशिष्ट "4.1"** में दर्शाए गए दिनांक 01.04.2022 को अथशेष तथा अंकेक्षण अवधि के दौरान सृजित की गई कुल मांग व वसूली हेतु शेष की सत्यता की पुष्टि अंकेक्षण में नहीं की जा सकी। उपरोक्त के अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा इस जल शुल्क की वसूली हेतु कोई ठोस कार्रवाई भी अमल में नहीं लाई गई थी, जिससे स्पष्ट है कि पंचायत अपने राजस्व की नियमित वसूली हेतु गम्भीर नहीं है।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2024/581 दिनांकः–26.11.2024 द्वारा सूचित किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–08 दिनांकः–30.11.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि इस बकाया राशि की वसूली करने उपरान्त सभा निधि में जमा करवा दिया जाएगा तथा उक्त से संबंधित मांग व वसूली रजिस्टर को तैयार करने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युतर तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः पंचायत राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों की नियमानुसार तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की अविलम्ब वसूली करना सुनिश्चित करके तथा संबंधित मांग व वसूली रजिस्टर को भी तैयार करके कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

7.3 ग्रामीण पानी सप्लाई स्कीम/पानी समिति परियोजना से संबंधित महत्वपूर्ण अभिलेखो का अनुरक्षण न करनाः–

हि॰ प्र॰ पंचायती राज सामान्य नियम 1997 के नियम 89(1)(2) के अंतर्गत प्रावधित अन्य अभिलेख/रजिस्टरों का अनुरक्षण किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/581 दिनांकः 26.11.2024 द्वारा मांगी गई जानकारी के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–08 दिनांकः–30.11.2024 द्वारा दी गई सूचना अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा संचालित उक्त परियोजना से संबंधित निम्न रजिस्टर/अभिलेखों का अनुरक्षण नहीं किया गया था, जिससे कि लेखांकन प्रकिया में पूर्णता एवं पारदर्शिता के अभाव में किसी भी स्तर पर धन एवं सामग्री के दुरूपयोग की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	रजिस्टर/अभिलेख	ग्राम पंचायत द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण
1.	अवधि जिस दिनांक से ग्राम पंचायत द्वारा उक्त योजना संचालित की जा रही है, उसका सम्पूर्ण ब्यौरा।	इससे संबंधित सम्पूर्ण ब्यौरा अभिलेखों की जांच पडताल करने उपरान्त आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा।
2.	हस्तांतरण के समय संबंधित योजना की सम्पतिया व दायित्व से संबंधित ब्यौरा।	संबंधित सम्पूर्ण ब्यौरा अभिलेखों की जांच पडताल करने उपरान्त अगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा।
3.	जब उक्त स्कीम ग्राम पंचायत को	संबंधित अभिलेख पूर्ण रूप से तैयार

	हस्तातरित की गई ,उस समय बकाया राशि से संबंधित ब्यौरा,परिवारो/नलो से संबंधित संख्या ब्यौरा।	नहीं है, उन्हे तैयार करने उपरान्त आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा।
4.	परिवार सग्रहण रजिस्टर	तैयार नहीं किया गया
5	बिल बुक स्टॉक रजिस्टर	तैयार नहीं किया गया
6	रसीद बुक स्टॉक रजिस्टर	तैयार नहीं किया गया
7	मांग तथा वसूली और आय और व्यय रजिस्टर	तैयार नहीं किया गया
8	पानी समिति कार्यवाही रजिस्टर	तैयार नहीं किया गया
9	तकनीकी सूचना रजिस्टर व अन्य संबंधित अभिलेख	तैयार नहीं किये गये

उपरोक्त महत्वपूर्ण अभिलेखो को अनुरक्षित न किए जाने बारे वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाने के अतिरिक्त अब प्राथमिकता के आधार पर इन अभिलेखो का अनुरक्षण किया जाना सुनिश्चित किया जाये व कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

7.4 विवाह पंजीकरण के रूप में प्राप्त की गई राशि ₹0.04 लाख को सरकारी कोष में जमा न करवाने बारेः–

सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्या–SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांकः– 04.10.2016 के अंतर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क निर्धारित दर से प्राप्त करने के उपरान्त विवाह पंजीकरण नियम 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता संख्या "0070–60–108–01" में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2024/580 दिनांकः–26.11.2024 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत **परिशिष्ट "5"** पर संलग्न सूचना व निम्न तालिका के अनुसार ग्राम पंचायत बागकुलजां द्वारा वर्ष 2022–23 व 2023–24 के दौरान ₹4200 की राशि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त की गई ,परन्तु उसे सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया थाः–

क्र0सं0	वित्तीय स्थिति	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि (₹)
1	2022–23	600
2	2023–24	3600
	कुल	4200

उक्त विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाने का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/584 दिनांकः–27.11.2024 के अंतर्गत सचिव ग्राम पंचायत बागकुलजां के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रतिउत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या– 08 दिनांकः–30.11.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त की गई राशि को सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त की गई राशि को नियमानुसार सरकारी कोष में जमा न करवाने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अथवा अंकेक्षण को दिये गये आश्वासनानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को शीघ्र अति शीघ्र सरकारी कोष जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व कृत अपेक्षित अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

8.1 निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹3.02 लाख के स्टॉक का क्रय करनाः–

हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) के अन्तर्गत पंचायत द्वारा किये जाने वाले व्यय से सम्बन्धित आपूर्ति आदेश, निविदा आदि औपचारिकताएं प्रावधित हैं।

ग्राम पंचायत बागकुलजां के व्यय वाउचरों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा संलग्न **परिशिष्ट "6"** के अनुसार ₹3,01,583/– का व्यय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया था जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है, जिससे स्पष्ट है कि पंचायत द्वारा उक्त व्यय करते समय बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ नहीं उठाया गया था।

उपरोक्त अनियमितत्ता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2024/586 दिनांकः–29.11.2024 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–08 दिनांकः–30.11.

2024 द्वारा सूचित किया गया कि भविष्य में औपचारिकताओं को पूर्ण करके ही नियमानुसार सामग्री क्रय की जायेगा। प्रस्तुत प्रत्युतर नियमानुकूल न होने व तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए इसे सक्षम प्राधिकारी की कार्योतर स्वीकृति से नियमित करवाया जाये तथा भविष्य में बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाते हुये नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

8.2 क्रय किये गये सामान राशि ₹3.28 लाख का स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्राप्ति व खपत से सम्बन्धित लेखांकन न होना:–

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 72(1) (ए.बी.सी.डी.) के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय किये गए भंडार का उसकी स्थायी व अस्थायी प्रकृति के अनुरूप प्रारूप 25,26,27 व 28 में लेखांकन किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत बागकुलजां के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 तक के दौरान की गई खरीद के वाउचरों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा संलग्न **परिशिष्ट–"6"** पर संकलित राशि ₹3,28,148/– के स्टॉक को क्रय उपरान्त स्टाक रजिस्टरो में दर्ज नहीं किया गया था, जिससे कृत व्यय का पूर्ण अंकेक्षण संभव न हो सका।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक:राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2024/587 दिनांक:–29.11.2024 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या:–08 दिनांक:–30.11.2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि स्टॉक का इन्द्राज कर लिया जायेगा। प्रस्तुत उतर तथ्यरहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः क्रय किये गये प्रत्येक सामान का पारदर्शी इन्द्राज किया जाना सुनिश्चित किया जाए व भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृति को रोका जाये तथा कृत सुधारात्मक कार्यवाही से अंकेक्षण को शीघ्रातिशीघ्र अवगत करवाया जाये।

8.3 खनन सामग्री बिलो के साथ वैध ट्रांजिट पास फॉर्म "X" या "W" की प्राप्ति सुनिश्चित न करने के कारण राशि ₹0.69 लाख का अनियमित भुगतान करने बारे:–

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल नियम 2015 के नियम 81 व 81–ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास फॉर्म डब्लयू या सप्लीमेंटरी पास फॉर्म X उपलब्ध करवाना अनिवार्य है। अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार

निर्धारित दरो से रॉयल्टी का भुगतान 25 प्रतिशत पेनल्टी के साथ करना होगा,परन्तु निदेशक ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग शिमला के पत्र संख्या XEN-(RD&PR)-DB-General/2023-1/204192/2023-34307-30 दिनांक 02.11.2023 के अंतर्गत पुनः दिये गये निर्देशानुसार संविदाकारों/आपूर्तिकर्ताओं से माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के दृष्टिगत अब रॉयल्टी नहीं काटी जा सकती तथा इन्हे भुगतान केवल वैध ट्रांजिट पास फॉर्म "X" या "W" जमा/उपलब्ध करवाने उपरान्त ही किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण अवधि के चयनित मासों के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण व सचिव द्वारा प्रस्तुत **परिशिष्ट "7"** पर संलग्न सूचना के अनुसार निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु आपूर्तिकर्ताओं से खनन सामग्री जैसे रेत,बजरी,पत्थर इत्यादि के वैध स्त्रोत से आपूर्ति के समर्थन में उक्त ट्रांजिट पास फॉर्म अंकेक्षण में प्रस्तुत नही किए गए। परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को ₹68805/– का अनियमित भुगतान किया गया एवं पूर्वोक्त नियम प्रावधानों एवं समय –समय पर जारी आदेशों व निर्देशों की अवहेलना के चलते अंकेक्षण अवधि में किये गए समस्त भुगतान अनियमित प्रतीत होते हैं।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/590 दिनांकः–29.11.2024 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–08 दिनांकः–30.11.2024 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त व्यय वैध ट्रांजिट पास फॉर्म "X" या "W" प्राप्त किये बिना ही किया गया है, उक्त व्यय जानकारी के अभाव में किया गया है। भविष्य में उक्त फॉर्म प्राप्त करने उपरान्त ही भुगतान किया जाएगा ,प्रस्तुत उत्तर अंकेक्षणापति के अनुकूल न होने एवं तथ्यरहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया। क्योंकि उक्त पत्र में वर्णित निर्देशानुसार समस्त भुगतान वैध ट्रांजिट पास फॉर्म "X" या "W" प्राप्ति उपरान्त किये जाने थे।

अतः अंकेक्षण अवधि के दौरान खनन सामग्री आपूर्तिकर्ताओं को नियमों के विरूद्ध एवं समय–2 पर जारी निर्देशों के विरूद्ध किये गये समस्त अनियमित भुगतानो को (उनके पूर्ण विवरण सहित) या तो समर्थित अपेक्षित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अथवा इन प्रकरणों को संबंधित जिला खनन अधिकारी के समक्ष उठाते हुए तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाये।

9.1 निर्माण सामग्री पेवर ब्लॉक्स के क्रय हेतु ₹0.89 लाख का अनियमित भुगतान करने बारेः–

1.सचिव (RD&PR) हि0 प्र0 सरकार के पत्र संख्या No.PCH-HC(10) FFC-Misc-60819-978 दिनांक 13.11.2018 द्वारा जारी दिशा–निर्देशों अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार राशि ₹88695

के पेवर ब्लॉक्स तथा टाइल्स का क्रय हि0 प्र0 सरकार के स्वीकृत माध्यम नियंत्रक भंडार के Rate Contract अथवा Gem Portel से अनुपलब्धता सुनिश्चित किए बिना ही खुले बाजार से तीन निविदाये आमंत्रित करके किया गया था तथा न हीं ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पत्र में वर्णित प्रावधान It will be mandatory for the concerned technical authority to give justification of the rates in the estimate.Before placing the supply order or awarding the work to lowest bidder justification of rates may be prepared and got approved from the one step up authority who has accorded Technical sanction. अनुसार निर्माण कार्यों हेतु अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई गई थी, परिणामस्वरूप किया गया भुगतान अनियमित एवं आपतिजनक है:–

क्र0 सं0	अनुदान	वाउचर सं/दिनांक	मास	विवरण	मात्रा	राशि (₹)
~~1~~	~~14TH FC~~	~~P/26/19.01.2023~~	~~01/2023~~	~~60mm(Paver.Block)from~~ M/s Mohindera Industry Kuthan Jaisinghpur Bill No 520 dt.-22.12.2022	~~2000~~	~~21900~~
2	15TH FC	P/23/18.01.2023	01/2023	60mm(Paver.Block)from M/s Mohindera Industry Kuthan Jaisinghpur Bill No 519 dt.-25.12.2022	3500	38325
3	15TH FC	P/24/18.01.2023	01/2023	60mm(Paver.Block)from M/s Mohindera Industry Kuthan Jaisinghpur Bill No 519 dt.-28.12.2022	600	6570
4	15TH FC	P/25/18.01.2023	01/2023	60mm(Paver.Block)from M/s Mohindera Industry Kuthan Jaisinghpur Bill No 521 dt.-22.12.2022	2000	21900
				Total	**8100**	**88695**

उपरोक्त अनियमितता के दृष्टिगत किये गए क्रय तथा वर्णित पत्रानुसार कार्यवाही न करने का औचित्य स्पष्ट करने हेतु, जारी अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/585 दिनांकः–29.11.2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय के पत्र संख्याः–80 दिनांकः–30.11.2024 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त व्यय जानकारी के अभाव में किया गया है तथा भविष्य में नियमानुसार ही सामग्री क्रय की जाएगी। प्रस्तुत प्रत्युतर नियमानुकूल न होने एवं तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए उक्त व्यय को सक्षम प्राधिकारी एवं उच्च तकनीकी अधिकारी की कार्योतर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा तथा भविष्य में नियमानुसार ही पेवर ब्लॉक्स का क्रय करना सुनिश्चित करें व कृत सुधारात्मक कार्यवाही से अंकेक्षण को शीघ्रातिशीघ्र अवगत करवाया जाये।

9.2 निर्माण कार्य के लिये मजदुरी भुगतान हेतु मूल्यांकित राशि से अधिक ₹1475/—का अधिक भुगतान करना :—

मनरेगा के अन्तर्गत करवाये गये निर्माण कार्य पक्का डंगा शिव मन्दिर से पी.डबल्यू.डी पुली की ओर वार्ड 3 की रिकार्ड प्रविष्टियों के अंकेक्षण करने पर पाया गया कि माप पुस्तिका संख्या 25827 के पृष्ठ संख्या 71 व 72 पर मजदूरी हेतु दर्ज प्रविष्टियों में किये गये कार्य की वास्तविक मूल्यांकित राशि से अधिक निम्न विवरणानुसार ग्राम पंचायत द्वारा ₹1475/— की अधिक मजदूरी का भुगतान पाया गया था:—

क्र0 सं0	वउचर सं/दिनांक/मस्ट्रोल सं.	वास्तविक मूल्यांकित राशि व अपेक्षित भुगतान (₹)	भुगतान की गई राशि (₹)	अधिक भुगतान की गई राशि (₹)
1	Nil/22.03.2024/9036,9037	Actual Assessment = ₹15805	17280	1475

उक्त अनियमितता के दृष्टिगत किये गए भुगतान को नियमानुसार वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/591 दिनांकः— 30.11.2024 के अंतर्गत पंचायत सचिव के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः—08 दिनांकः—30.11.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करने उपरान्त संबंधित शीर्ष में जमा करवा दी जाएगी व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः अंकेक्षण को दिये गए आश्वासनानुसार अधिक किये गए भुगतान की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करके कृत अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाए।

10 विभिन्न निर्माण कार्यो के सन्दर्भ में राशि ₹2.55 लाख के अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत न करने बारेः—

हि•प्र• पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 79(2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण अवधि के चयनित मास 01/2023 व 03/2024 के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा निम्न तालिका के अनुसार ₹2,54,566/—का भुगतान किया गया था, परन्तु उक्त निर्माण कार्यो के सन्दर्भ में अंकेक्षण हेतु वांछित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं कियें गए, जिसके अभाव मे किये गये व्यय का पूर्ण अंकेक्षण संभव न हो सका:—

क्र0सं0 व अनुदान	वाउचर सं/ दिनांक	बिल संख्या/ दिनांक	कार्य का नाम	भुगतान राशि (₹)	वांछित अभिलेख
1.15वां वित	पी/24/ 18.01.2023	522/28.12. 2022	निर्माण रास्ता इंटरलॉक टाईल्स मन्दिर से ओम प्रकाश के घर की ओर	6570	माप पुस्तिका
2.मनरेगा	निल/ 07.01.2023, 21.01.2023	मस्ट्रोल—5540 ,5936	निर्माण गउशाला रणवीर सिंह स्पुत्र हरि राम वार्ड—2	21624	माप पुस्तिका
3.मनरेगा	निल/ 21.01.2023	मस्ट्रोल —5937	निर्माण जीपेवल रोड व पुली अलोहिया बस्ती वार्ड—1	8904	माप पुस्तिका
4.मनरेगा	निल/ 07.01.2023	मस्ट्रोल —5542	निर्माण पक्का रास्ता जीप योग्य रोड पी.डबल्यू.डी से हरनाम सिंह कलोत्रा के खेत की ओर वार्ड—6	6996	माप पुस्तिका
5.मनरेगा	निल/ 21.01.2023	217/03.01. 2023	निर्माण चार दिवारी व प्रांगन मोक्षधाम चिवड़ु वार्ड—6	28905	प्रस्ताव,माप पुस्तिका
6.मनरेगा	निल/ 22.03.2024	मस्ट्रोल —9034	निर्माण नाली ब्रहमु राम के घर से रमेश चन्द के घर की ओर वार्ड—3	8400	माप पुस्तिका
7.मनरेगा	निल/ 07.03.2024	मस्ट्रोल —8447	निर्माण वाटर टैंक जगन सिंह स्पुत्र गुलाव सिंह वार्ड—5	6000	माप पुस्तिका
8.15वां	पी/38,39	680,382/22.	निर्माण रास्ता पंचायत	11854	माप पुस्तिका

वित	/12.03. 2024	02.2024,28. 02.2024	घर ग्रांम पंचायत बागकुलजां वार्ड–2		
9.15वां वित	पी/40,41 /12.03. 2024	0016,0018/ 05.03.2024	अपवर्धन कुआं व शैड पंचायत घर बागकुलजां वार्ड–2	95313	बजट प्राक्कलन, माप पुस्तिका
10.15वां वित	पी/42,43 /12.03. 2024	0019,020/0 5.03.2024	अपवर्धन कुआं फतेह चन्द की जमीन डाबला वार्ड–7	60000	माप पुस्तिका
			कुल योग	**254566**	

वांछित अभिलेखो को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने बारे सचिव ग्राम पंचायत बागकुलजां से अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/588 दिनांकः–29.11.2024 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः– 08 दिनांक 30.11.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि माप–पुस्तिकाओं व अन्य अभिलेखों को आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युतर नियमानुसार व तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः सचिव द्वारा अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना एक गम्भीर अनियमितता है। जिसका औचित्य उक्त वर्णित नियमानुसार तथ्यों सहित स्पष्ट किया जाये व नियमानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही सहित वाँछित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

11 ऑनलाईन रोकड़ बहियों में राशि ₹1.99 लाख की अनुचित/असमर्थित/समायोजित प्रविष्टियां (Adjustment voucher) करने बारेः–

हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 10(1) के अनुसार ग्राम पंचायत के बैंक खातो में से प्रत्येक निकासी की तत्काल रोकड़ बही में प्राप्ति की ओर व जमा की अदायगी की ओर प्रविष्टियां दर्ज की जाएगी तथा उसकी बैंक पास बुक उचित प्रेषण व निकासी प्रविष्टियों सहित अनुरक्षित की जाएगी।

ग्राम पंचायत की ऑनलाईन रोकड़ बहियो के अंकेक्षण पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत निम्न विवरणानुसार राशि ₹199047/– की समायोजित प्रविष्टियां (Adjustment voucher) व्यय के रूप में की गई दर्शाई गई थी जिनके समर्थन में कोई बिल/वाउचर भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया तथा न ही इससे संबंधित प्रविष्टियां बैंक पास बुक में पाई गई, फलस्वरूप निम्न व्यय से संबंधित की गई प्रविष्टियां अनुचित प्रतीत होती हैंः–

क्र0सं0	अनुदान	वाउचर सं/दिनांक	रोकड़ बही पृष्ठ संख्या	राशि (₹)
1	एस.बी.एम	पी/1/03.08.2022	15	90
2	आई.डबल्यू. डी.पी	पी/2/03.08.2022	15	27749
3	14वां वित	पी/1/11.04.2023	शून्य	38468
4	14वां वित	पी/2/11.04.2023	शून्य	5148
5	सभा निधि	पी/2/11.04.2023	शून्य	1475
6	सभा निधि	पी/3/11.04.2023	शून्य	220
7	सभा निधि	पी/4/30.04.2023	शून्य	100728
8	13वां वित	पी/1/30.04.2023	शून्य	25169
कुल योग				**199047**

इस प्रकरण को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक:राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/589 दिनांक:—20.11.2024 के अंतर्गत सचिव ग्राम पंचायत बागकुलजां के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या:—08 दिनांक:—30.11.2024 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त समायोजित/अनुचित प्रविष्टियों बारे अभिलेखों की जाँच पड़ताल उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करने उपरान्त संबंधित शीर्ष के बैंक खातें में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए तथा इस मामले की विभागीय स्तर पर भी जांच की जायें तथा यथास्थिति कृत सुधारात्मक कार्यवाही से अंकेक्षण को शीघ्रातिशीघ्र अवगत करवाया जाये।

12. संयुक्त हस्ताक्षर के बिना ही ₹9.60 लाख का अनियमित भुगतान करना:—

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 49(1 तथा 2) के प्रावधानों के अनुसार पंचायत द्वारा कोई भी भुगतान तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि सम्बन्धित बिल/वाउचर पर पंचायत प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों से भुगतान आदेश नियमानुसार पारित न किया गया हो।

अंकेक्षण अवधि के चयनित मास 01/2023 व 03/2024 के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर के बिना ही ₹960307.96 का

भुगतान किया गया था, जोकि अनियमित व आपतिजनक है तथा उक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना है।

इस प्रकरण को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/591 दिनांकः–30.11.2024 के अंतर्गत सचिव ग्राम पंचायत बागकुलजां के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–08 दिनांकः–30.11.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि वतर्मान समय से संयुक्त हस्ताक्षरो द्वारा ही भुगतान किया जा रहा है।

अतः नियमों के विरूद्ध किये गये भुगतानो को पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर कृत सुधारात्मक कार्यवाही से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

13. निर्माण कार्यों से सम्बन्धित विसंगतियां:–

निर्माण कार्यों से सम्बन्धित वाउचर नस्तियों में उपलब्ध बिल/वाउचरों की नमूना अंकेक्षण जाँच उपरान्त तथा पैरा संख्या "9.1 व 10" के अंतर्गत दिखाये गये व्यय के अनुसार निर्माण कार्यों के सन्दर्भ में पाया गया कि निर्माण कार्य निष्पादन हेतु हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 में प्रावधित नियमों की अनुपालना नहीं की जा रही थी। इन बिलों में निम्नलिखित विसंगतियां पाई गई हैं:–

1.नियम 104(2)(1) की अनुपालना में निर्माण कार्यों की नमूना जाँच मापन पुस्तिका में सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों जैसे कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, आदि द्वारा नहीं की गई थी।

2.निर्माण सामग्री के आपूर्ती बिलों को कनिष्ठ अभियन्ता/तकनीकी सहायक द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था जिसके कारण किये गये भुगतान की प्रमाणिकता संदिग्ध हो जाती है।

3.ग्राम पंचायत द्वारा करवाये विभिन्न निर्माण कार्यो के प्ररूप–34, जिसमें कि कार्य का पूर्ण आय–व्यय ब्यौरा शामिल होता है, उन्हे भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे कि किसी व्यक्तिगत कार्य में प्रयुक्त सामग्री व लेबर पर किये गए कुल व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

4.निर्माण सामग्री के आपूर्ती बिलों को, किसी व्यक्तिगत निर्माण कार्य के लिये बनाई गई निर्माण समिति के सदस्यो अथवा पंचायत सदस्यो द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया गया था, जिसके अभाव में उस सामग्री की वास्तविक प्राप्ति व उपयोग की स्थिति अंकेक्षण सन्देहास्पद प्रतीत होती है।

इन अनियमितताओ बारे अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/591 दिनांकः– 30.11.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत बागकुलजां को अवगत करवाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–08 दिनांकः–

30.11.2024 द्वारा सूचित किया गया कि उपरोक्त अनियमितताओं की वर्तमान समय से नियमानुसार अनुपालना की जा रही है तथा अंकेक्षण अवधि के चयनित मास के दौरान करवाये गये विभिन्न निर्माण कार्यो से संबंधित प्रपत्र–34 को भी तैयार करने उपरान्त आगामी अंकेक्षण में सत्यापन हेतु प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

अतः उपरोक्त नियमों की अवहेलना किये जाने बारे पूर्ण तथ्यो सहित उचित स्पष्टीकरण के अतिरिक्त भविष्य हेतु नियमानुसार कार्य करना सुनिश्चित किया जाये तथा कृत कार्यवाही से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

14.1 नियमों की अवहेलना करते हुए महत्वपूर्ण अभिलेखो का अनुरक्षण न करनाः–

हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हि॰प्र॰ पंचायती राज सामान्य नियम 1997 के नियम 34 के अंतर्गत प्रावधित महत्वपूर्ण अभिलेख/रजिस्टरों का अनुरक्षण किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/580 दिनांकः 26.11.2024 के क्रमांक 9 में मांगी गई जानकारी के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–08 दिनांकः–30.11.2024 द्वारा दी गई सूचना तथा पंचायत के लेखों के नमूना अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न रजिस्टर/अभिलेखों का पंचायत द्वारा अनुरक्षण नहीं किया गया था अथवा अनुरक्षण में नियमों की अवहेलना की गई थी, जिससे कि लेखांकन प्रकिया में पूर्णता एवं पारदर्शिता के अभाव में किसी भी स्तर पर धन एवं सामग्री के दुरूपयोग की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है , जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
1.	निवेश रजिस्टर	01	12
2.	वर्गीकृत सार	8	29(4)
3.	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	09	30
4.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	––	7(3) एवं 10(1) तथा "प्रारूप–5" के आरम्भ में दी गई टिप्पणी
5	वार्षिक बजट नियमों की अवहेलना करते हुये पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में ही दर्ज किया गया था।	11	37
6	अनुदान रजिस्टर	8	34

	हि0प्र0पं0रा0 (सामान्य) नियम		
7	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
8	निर्माण कार्य रजिस्टर	....	103
9	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72 (1) ए बी
10	निर्माण कार्यों की खण्ड विकास अधिकारी से प्राप्त तकनीकी स्वीकृतियों का रजिस्टर	31	95(1)

उपरोक्त महत्वपूर्ण अभिलेख को अनुरक्षित न किए जाने अथवा अनुरक्षण में नियमों की पूर्ण पालना न करने बारे वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाने के अतिरिक्त अब प्राथमिकता के आधार पर इन अभिलेखो का अनुरक्षण किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

14.2 भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करनाः—

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम **73** के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा नियमानुसार कभी भी प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था। जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सका। अतः समय—समय पर स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न होने से सामग्री विशेष के दुरूपयोग की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। यह एक गंभीर अनियमितता है।

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/580 दिनांकः—26.11.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः—08 दिनांकः—30.11.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि भविष्य में भौतिक सत्यापन करवा लिया जायेगा। प्रस्तुत प्रत्युतर नियमानुकूल न होने एवं तथ्य रहित होने के कारण तर्कसंगत नही पाया गया।

अतः इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर व कृत सुधारात्मक अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

अन्य विविध अंकेक्षण आपतियां:–

15.1 रसीद बुको का स्टॉक नियमानुसार न रखा जाना:–

रसीद बुको के स्टॉक के अंकेक्षण में पाया गया कि इसे हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 5 (5) के प्रावधानो के अनुसार नहीं रखा जा रहा है। इस नियम के अनुसार जिला पंचायत अधिकारी से प्राप्त खाली रसीद बुकों का अभिलेखन सामान्य स्टॉक रजिस्टर से अलग हि0प्र0 पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 34 में प्रावधित फॉर्म–2 में रसीदो के स्टॉक रजिस्टर में रखा जायेगा।

इसके अतिरिक्त हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 13 (5) के अनुसार पंचायत सचिव का यह वैधानिक दायित्व है कि वह जिला पंचायत अधिकारी द्वारा प्राधिकृत/खाली रसीदो को प्राप्त करते समय तथा उपयोग हेतु जारी करने का अभिलेख प्रारूप–4 के अनुसार बनाए गये स्टॉक रजिस्टर में रखे। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान इस प्रकार का कोई अभिलेख तैयार नहीं किया गया। जिस कारण से अंकेक्षण अवधि के दौरान खरीदी गयी तथा प्रयोग की गई रसीदो का न तो संकलित विवरण तैयार किया जा सका तथा न ही अंकेक्षण संभव हो पाया है। इसके अतिरिक्त अंकेक्षण अवधि के दौरान लेखांकित की गई आय भी रसीदो के अभिलेख के अभाव में संदिग्ध हो जाती है। अतः इस अनियमितता के बारे में तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के अतिरिक्त इस अवधि के दौरान खरीदी गई रसीदो का अभिलेख पंचायत अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त करके इनके प्रयोग का विवरण तैयार करना सुनिश्चित किया जाये तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये

15.2 वाउचर नम्बरों का न लगाया जाना:–

हि•प्र• पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 7(1) के अनुसार वाउचरो पर वाउचर क्रमांक लगाया जाना अपेक्षित है।

वाउचर नस्तियों के अंकेक्षण में पाया गया कि अवधि 2022–23 व 2023–24 में मनरेगा के व्यय वाउचरों में वाउचर क्रमांक नहीं लगाए गए थे। जोकि उक्त प्रावधानों की स्पष्ट अवहेलना है तथा उचित वाउचर क्रमांक के अभाव में अंकेक्षण में भी दिक्कतें आई हैं। अतः इस अनियमितता तथा नियमों की अवहेलना के बारे में तथ्यपूर्ण तरीके से वस्तुस्थिति स्पष्ट करने के अतिरिक्त भविष्य में नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

15.3 वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित न होना:–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें संपरीक्षा संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (1) के अनरूप लेखों का रख रखाव ग्राम पंचायत बागकुलजां द्वारा नहीं किया गया था। जबकि उक्त नियम के अनुसार प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित करना अनिवार्य है जिस प्रस्ताव के अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा व्यय करने हेतु प्राधिकृत किया गया था। ग्राम पंचायत बागकुलजां के चयनित मासो 01/2023 व 03/2024 के व्यय वाउचरों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि व्यय वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक उल्लेखित नहीं थे।

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक:राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/591 दिनांक:–30.11.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र. संख्या:–08 दिनांक:–30.11.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि वर्तमान समय से वाउचरो पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित करने उपरान्त ही भुगतान किया जा रहा हैं।

अतः भविष्य में प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित करने उपरान्त ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

15.4 राशि ₹0.05 लाख के बिल/वाउचर प्रस्तुत न करने बारे:–

हि•प्र• पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 79(2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत किये जाने अपेक्षित है।

अंकेक्षण अवधि 2022–23 के चयनित मास 01/2023 के व्यय वाउचरों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा निम्न तालिका के अनुसार **₹5488**/–का भुगतान दर्शाया गया था, जिसके बिल/वाउचर को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया, फलस्वरूप कृत व्यय सन्देहास्पद प्रतीत होता है:–

क्र0सं0	अनुदान	वाउचर सं/दिनांक	बिल सं./दिनांक	भुगतान की गई राशि (₹)
1.	मनरेगा	निल/ 21.01.2023	मस्ट्रोल स0–3323	5488

उक्त बिल/वाउचर को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने बारे पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक:राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/591 दिनांक:–30.11.2024 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या:–08 दिनांक:–30.11.

2024 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त बिल/वाउचर को अगामी अंकेक्षण मे प्रस्तुत कर दिया जाएगा। प्रस्तुत उत्तर तथ्यरहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः उक्त बिल/वाउचर अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत किए जाने सुनिश्चित किये जाए अन्यथा भुगतान की गई राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके संबंधित शीर्ष के खाते में जमा की जानी सुनिश्चित की जाए।

16 **लघु आपति विवरणिकाः**— लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा करके विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई।

17 **निष्कर्षः**— लेखों के रख रखाव में हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियमों व समय–2 पर जारी अन्य दिशा–निर्देशों की पूर्णतः अनुपालना नहीं की जा रही थी जिस कारण से लेखों के रख–रखाव में सुधार हेतु कड़े कदम उठाये जाने की आवश्यकता है।

03 FEB 2025

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

750-754 का० 150

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(2)453/2025–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सभी सम्बन्धित को एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2. उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0।
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड लम्बागांव, जिला काँगड़ा (हि0प्र0)।
5. (पंजीकृत) सचिव, ग्राम पंचायत बागकुलजां, विकास खण्ड लम्बागांव, जिला काँगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

03 FEB 2025

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

का०/50

ANNEXURE -1(पैरा 4.1 (क))

FINANCIAL POSITION OF GP BAGKULZAN FOR THE YEAR 2022-23 & 2023-24

1 OWN SOURCES

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	990149.88	1327073.00	2317222.88	776561.00	1540661.88
2023-24	1540661.88	719556.00	2260217.88	711752.00	1548465.88

2 GRANTS-IN-AID

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	2236674.14	2068958.56	4305632.70	2575317.56	1730315.14
2023-24	1730315.14	1324743.13	3055058.27	1442052.00	1613006.27

Pradhan Rekha Secretary
Gram Panchayat Bagkuljan
Dev. Block Lambagaon
Distt. Kangra (H.P.)

27

ANNEXURE -2(पैरा संख्या - 6.1")

FINANCIAL POSITION OF GRANTS- IN- AID OF GP BAGKULZAN FOR THE YEAR 2022-23 & 2023-24

SR.NO	PARTICULARS	YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
1	3RD SFC	2022-23	1377.00	40.00	1417.00	0.00	1417.00
		2023-24	1417.00	20.00	1437.00	0.00	1437.00
2	WDF	2022-23	29013.00	211.00	29224.00	29258.00	-34.00
		2023-24	-34.00	0.00	-34.00	0.00	-34.00
3	RAY	2022-23	1382.00	40.00	1422.00	0.00	1422.00
		2023-24	1422.00	44.00	1466.00	0.00	1466.00
4	14TH FC	2022-23	1071684.39	25783.00	1097467.39	1102600.00	-5132.61
		2023-24	-5132.61	939.13	-4193.48	0.00	-4193.48
5	15TH FC/ZP/PS	2022-23	1133217.75	1165919.00	2299136.75	566494.00	1732642.75
		2023-24	1732642.75	429440.00	2162082.75	547752.00	1614330.75
6	MGNREGA	2022-23	0.00	876965.56	876965.56	876965.56	0.00
		2023-24	0.00	894300.00	894300.00	894300.00	0.00

28

Pradhan Raksha Secretary
Gram Panchayat Bagkuljan
Dev. Block Lambagaon
Distt. Kangra (H.P.)

परिशिष्ट – 3 (पैरा संख्या 4.16(5))

कार्यालय ग्राम पंचायत बागकुलजां विकास खण्ड लम्बागांव ,जिला काँगड़ा हि0प्र0 176095

बैंक प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत बागकुलजां के दिनांक 01.04.2022 व 31.03.2024 को बैंक शेष –

क.	अनुदान	बैंक	खाता संख्या	**बैंक शेष 01.04.22 को**	**बैंक शेष 31.03.24 को**
1	स्वःस्त्रोत / 5वां वित / वी.के.वी.एन.वाई / पी.एस / टी.एस.सी	का•के•सह•बैंक जयसिंहपुर	20086032909	1624079	2181882
2	तीसरा वित	का•के•सह•बैंक जयसिंहपुर	50055999673	1377	1359
3	आर.ए.वाई	का•के•सह•बैंक जयसिंहपुर	20086010077	1382	1466
4	डबल्यू.डी.एफ	का•के•सह•बैंक लम्बागांव	20019032104	29013	0
5	14वाँ वित्त	यूको•बैंक लम्बागांव	10680110035962	1071684.39	3439.13
6	15वाँवित्त / पी.एस / जेड.पी	यूको•बैंक लम्बागांव	10680110038697	1133217.75	1614330.75
7	हस्तगत शेष(संयुक्त ऑनलाईन रोकड.बही के अनुसार)			0	0
			कुल योग	**3860753.14**	**3802476.88**

Pradhan Rakesh, Secretary
Gram Panchayat Bagkuljan
Dev. Block Lambagaon
Distt. Kangra (H.P.)

PANCHAYATI RAJ HIMACHAL PARDESH

29

परिशिष्ट–4 (पैरा संख्या – "7.3")

कार्यालय ग्राम पंचायत बागकुलजां विकास खण्ड लम्बागांव ,जिला काँगड़ा हि0प्र0 176095

दिनांक 31–03–2024 को ग्राम पंचायत में वसूली हेतु शेष सम्पति कर/गृहकरः–

पंचायत क्षेत्र के निवासी परिवारों की कुल संख्याः 2022–23 व 2023–24 में 740 परिवारों का रु 40/50/– प्रति परिवार प्रतिवर्ष की दर सेः–

वितीय वर्ष	अथशेष	परिवार	गृहकर वार्षिक दर	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि ₹
2022–23	100285	740	40/50	36080	136365	84000	52365
2023–24	52365	740	40/50	36080	88445	20160	68285
	नोटः– दिनाँक 31.03.2024 को बकाया सम्पति कर/गृहकर की राशि **₹68285**/– है।						

ए.पी.एल– 648X50=32400
बी.पी.एल– 92X40 =3680

Pradhan Raksha Secretary
Gram Panchayat Bagkuljan
Dev. Block Lambagaon
Distt. Kangra (H.P.)

30

परिशिष्ट – 41 (पैरा संख्या – "7.2")

कार्यालय ग्राम पंचायत बागकुलजा विकास खंड लम्बागाँव जिला काँगड़ा -176095							
ग्राम पंचायत द्वारा संचालित ग्रामीण पानी सप्लाई स्कीम / पानी समीति योजना के अंतर्गत दिनाक 31/3/2024 को बसूली हेतू शेष							
अबधि	अथशेष	कुल नल	दर प्रति बर्ष	कुल मांग	कुल बसूल योग्य राशि	बर्ष दौरान प्राप्त राशि	अंत शेष
2022-2023	8780	512	360	184320	193100	76790	116310
2023-2024	116310	0	0	0	116310	0	116310

हस्ताक्षर Raksha

दिनांक ....

31

परिशिष्ट–5 (पैरा संख्या – "7.4")

कार्यालय ग्राम पंचायत बागकुलजां विकास खण्ड लम्बागांव ,जिला काँगड़ा हि0प्र0 176095

विवाह पंजीकरण शुल्क की राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाने से राजस्व हानि:–

क.संख्या	अवधि	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि
1	2022–23	600
2	2023–24	3600
	कुल योग	**4200**

Pradhan Secretary
Gram Panchayat Bagkuljan
Dev. Block Lambagaon
Distt. Kangra (H.P.)

32

परिशिष्ट–"6" (पैरा संख्या – 8.1 व 8.2)

ग्राम पंचायत बागकुलजां विकास खण्ड लम्बागांव, जिला कांगडा हिमाचल प्रदेश ,स्टॉक/स्टोर की कय की गई सामग्री की प्रविष्टियां भंडार पुस्तिकाओं में न करना व औपचारिकताओं को पूर्ण किये विना स्टॉक/स्टोर कय करना।

अनुदान	वो.स. /दिनांक	समाग्री का विवरण	विल.स. /दिनांक	आपूर्तिकर्ता	मात्रा	रेट	राशि ₹	टिप्पणी
1.SF	P/39/19.01.2023	2 Role Piller Heater &Otrher	687/21.12.2022	M/s Sharma Repair Centre Jaisingpur			9100	निविदाये व स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
2.VKVNY	P/5/19.01.2023	Window &Door	028/04.01.2023	M/s A.V Decorator Jaisingpur	9	2000	18000	निविदाये व स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
3.VKVNY	P/6/19.01.2023	Paints &Colour	2012/16.06.2022	M/s Guldev Chand &Sons Jaisingpur			6850	निविदाये व स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
4.VKVNY	P/7/19.01.2023	Bricks	00054/04.01.2023	M/s Himtek Builders Tikkri Jaisingpur	900	8	7200	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
5.14TH FC	P/25/19.01.2023	Sand(cft)	0008/24.12.2022	M/s Rajinder Kumar Tikkri Jaisingpur	458	36	16488	दो निविदाये प्रस्तुत की गई
		Agg.(cft)			637	35	22295	
		Shuttering(sqf)			457	12	5484	
		Cement Crg.			98	20	1960	
6.14TH FC	P/26/19.01.2023	Paver Block(60mm)	520/22.12.2022	M/s Mohindera Industry Kuthan Jaisingpur	2000	10.95	21900	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
7.15TH FC	P/19/18.01.2023	Sand(cft)	0010/22.12.2022	M/s Rajinder Kumar Tikkri Jaisingpur	412	36	14832	दो निविदाये प्रस्तुत की गई
		Agg.(cft)			434	35	15190	
		Shuttering(sqf)			43	12	516	
		Cement Crg.			89	20	1780	
8.15TH FC	P/23/18.01.2023	Paver Block(60mm)	519/25.12.2022	M/s Mohindera Industry Kuthan Jaisingpur	3500	10.95	38325	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
9.15TH FC	P/24/18.01.2023	Paver Block(60mm)	522/28.12.2022	do	600	10.95	6570	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
10.15TH FC	P/25/18.01.2023	Paver Block(60mm)	521/22.12.2022	do	2000	10.95	21900	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
11.VKVNY	P/7/22.03.2024	TMT(8mm)Including Labour	1129/25.12.2023	M/s Manya Traders Upper Lambagaon			14275	निविदाये व स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
12.SF	P/33/28.03.2024	Retro Fitting Solar Steet Light(20)	BSG/23-24/807/30.01.2024	M/s BSG Solar Eco Energy PVT.LTD Tihra Road Sunjanpur	9	2000	18000	निविदाये व स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
		Retro Fitting Solar Steet Light(15)			1	1500	1500	
13.15TH FC	P/38/12.03.2024	Paver Block(60mm) m2	680/22.02.2024	M/s Mohindera Industry Kuthan Jaisingpur	19	485	9215	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
14.15TH FC	P/40/12.03.2024	M.S Angel 1.5x1.5 Square Sariya &Patti Fancing m.s pipe etc	0016/05.03.2024	M/s Rajesh Kumar Karanghat Jaisinghpur			49700	निविदाये व स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
15.15TH FC	P/41/12.03.2024	Trus Pipe 20 x12 foot ,Angle+Sariya +Patti &other	0018/05.03.2024	do			45613	निविदाये व स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई

33

PANCHAYATI RAJ HIMACHAL PARDESH

Pradhan Raksha Secretary
Gram Panchayat Bagkuljan
Dev. Block Lambagaon
Distt. Kangra (H.P.)

16.15TH FC	P/42/12.03.2024	M.S Angel 1.5x1.5 t foot with gate loading &unloading etc	0019/05.03.2024	do			35000	निविदाये व स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
17.15TH FC	P/43/12.03.2024	G.I Chain fencing(Including GST)	020/05.03.2024	do			25000	निविदाये व स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
						G/Total	406693	

नोट: 1. क्रम संख्या 1 से 3, 4, 6, 11, 12, 14, 15 व 16, 17 की औपचारिकताओं को पूर्ण नहीं किया गया।
2. क्रम संख्या 1 से 4, 6, 8 से 17 की स्टॉक प्रविष्टियों का स्टॉक रजिस्टर में इन्द्राज नहीं किया गया है।

Pradhan
Secretary
Gram Panchayat Bagkuljan
Dev. Block Lambagaon
Distt. Kangra (H.P.)

परिशिष्ट–"7" (पैरा संख्या – 8.3")

ग्राम पंचायत बागकुलजां विकास खण्ड लम्बागांव द्वारा कय की गई खनन निर्माण सामग्री								
क.स	अनुदान	वाउचर स. /दिनाक	आपूर्तिकर्ता	बिल स. /दिनांक	सामग्री	मात्रा	दर	राशि
1	14TH FC	P/25/19.01.2023	M/s Rajinder Kumar Tikkari Jaisinghpur	0008/24.12.2022	Sand	458	36	16488
					Agg	637	35	22295
2	15TH FC	P/19/18.01.2023	do	0010/22.12.2022	Sand	412	36	14832
					Agg	434	35	15190
						Total		68805

नोटः–उपरोक्त खनन निर्माण सामगी ग्राम पंचायत द्वारा x or w फॉर्म प्राप्त किये बिना ही कय की गई है।

Technical Assistant
Gram Panchayat
Dev. Block Lambagaon
Distt. Kangra (H.P.)

ग्राम पंचायत बाग कुलजां, विकास खण्ड लम्बागांव, जिला कांगड़ा

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत बागकुलजां
विकास खण्ड लम्बागांव
जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

हस्ताक्षर Raksha
दिनांक ....

35